भारत के उच्चतम न्यायालय में सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं0 2530/2012

बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान अपीलार्थी

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. यह अपील झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा एल० पी० ए० संख्या 53 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 02.04.2008 के अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपीलार्थी द्वारा दायर एल० पी० ए० को खारिज कर दिया तथा रिट याचिका सं० 2572 वर्ष 2005 में उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 12.01.2007 के आदेश की पुष्टि की।

- 2. इस अपील में एक छोटा विवाद है जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा।
- 3. अपीलकर्ता देश में एक प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थान है। इसे ''बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान'' (बीo आईo टीo) के नाम से जाना जाता है।
- 4. प्रतिवादी सं0 4 दिनांक 16.09.1971 को अपीलकर्ता—संस्थान में सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान दिया तथा सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने के बाद दिनांक 30.11.2001 को सेवानिवृत हुए।
- 5. तब प्रतिवादी सं0 4 ने अपीलकर्ता को एक अभ्यावेदन दिया और उसमें उपदान राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना की, जो प्रतिवादी के अनुसार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (संक्षेप में "अधिनियम" कहा जाता है) के तहत अपीलार्थी द्वारा उसे देय थी। अपीलकर्ता ने, हालांकि, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मांग की गई उपदान की राशि को भुगतान करने से इन्कार कर दिया।
- 6. इसलिए, प्रतिवादी सं0 4 ने अपीलकर्ता के विरूद्ध नियंत्री प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम के तहत एक आवेदन दाखिल किया और उपदान की राशि, जो उसके अनुसार, अधिनियम के तहत उसके लिए देय

थी, का दावा किया।

- 7. दिनांक 07.09.2002 के आदेश द्वारा, नियंत्री प्राधिकारी (प्रतिवादी सं0 3) ने प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दाखिल आवेदन पर अनुमित प्रदान की और अपीलकर्ता को 3,38,796 रूपये 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सिहत प्रतिवादी सं0 4 को उपदान के रूप में संदाय करने का निर्देश दिया।
- 8. अपीलकर्ता व्यथित हुआ तथा अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर किया। दिनांक 15.04.2005 के आदेश से, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी। अपीलार्थी व्यथित होकर मामले को उच्च न्यायालय में रिट याचिका में लाया। उच्च न्यायालय (एकल पीठ) ने दिनांक 12.01.2007 के आदेश द्वारा रिट याचिका खारिज कर दिया तथा अधिनियम के तहत पारित अधिकारियों के आदेश को बरकरार रखा। तब अपीलकर्ता ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध खण्डपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल की।

आक्षेपित आदेश द्वारा एल0 पी0 ए0 को भी खारिज कर दिया गया था, जो वर्तमान अपील को, विशेष अवकाश (स्पेशल लीव) के द्वारा अपीलकर्ता—संस्थान द्वारा इस न्यायालय में दायर करने का कारण बना।

9. वह लघु प्रश्न, जो इस अपील में विचार करने हेतु उठता है, यह

है कि क्या निम्न न्यायालय, प्रतिवादी सं0 4, अधिनियम के तहत, अपीलकर्ता (नियोक्ता) से उपदान की राशि का दावा करने का हकदार थे, को सही उहराने में न्यायसंगत था।

- 10. श्री शम्बो नंदी, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अनिल कुमार झा, प्रतिवादी सं0 1—3 तक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील राय, प्रतिवादी सं0 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
- 11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख के परिशीलन के पश्चात् हम इस अपील में गुण पाते हैं।
- 12. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस अपील में शामिल मुद्दा अब अस्पृष्ट वस्तु (रेस इंटिग्रा) नहीं रहा और इस न्यायालय द्वारा अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम् प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (2004) 1 एस0 सी0 सी0 755 में अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया गया।
- 13. **अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संघ** (उपरोक्त) वाद में विचार करने हेतु प्रश्न उठा कि क्या "शिक्षक" अधिनियम की धारा 2 (ई0) के तहत "कर्मचारी" माना जा सकता है और यदि हाँ, तो क्या उसे अपने नियोक्ता से उपदान राशि का दावा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, करने

का हक है या नहीं।

- 14. दो न्यायमूर्तियों की पीठ ने इस सवाल की विस्तार से जाँच की। न्यायमूर्ति डी० एम० धर्माधिकारी ने खण्डपीठ की ओर से कहा कि शिक्षक, "कर्मचारी" पद के अर्थ के अनुसार एक कर्मचारी नहीं है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (ई०) में परिभाषित है, और इसलिए वह अपने नियोक्ता से किसी भी उपदान राशि का दावा करने का हकदार नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि अधिनियम की धारा 2 (ई०) के तहत शिक्षक एक कर्मचारी नहीं है, उसे अपने नियोक्ता से अधिनियम के तहत उपदान का दावा करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं है।
- 15. निर्णय के पारा 20 से 26 में लॉर्डिशिप के तर्क को उद्धृत करना प्रासांगिक है, जो इस प्रकार है :

"20. इसलिए, शैक्षणिक संस्थान, एक "प्रतिष्ठान" है, जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 1 (3) (सी) के तहत अधिसूचित है। नगर निगम की ओर से यह कहा गया है कि 1972 के अधिनियम की धारा 1 (3) (सी) के तहत जारी अधिसूचना का एकमात्र लाभकारी प्रभाव यह है कि शैक्षणिक संस्थानों के वैसे गैर–शिक्षण कर्मचारी, जैसा कि परिभाषा खण्ड 2 (ई0) में निहित किसी भी नियोजन के विवरण के जबाव के रूप

में हो, इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आच्छादित हो। वैसे शिक्षण कर्मचारी जो "कर्मचारी" के परिभाषा से आच्छादित नहीं हैं, उन्हें सिर्फ इस आधार पर लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि "शैक्षणिक संस्थानों" प्रतिष्ठान के रूप में, इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा अधिसूचना द्व ारा आच्छादित हैं।

21. इस प्रकार, अलग—अलग अधिनियमों में ''कर्मचारी'' शब्द की विभिन्न परिभाषा खण्डों की तुलना करने पर, विभिन्न श्रम विधानों के विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के संबंध में, हमारा मत है कि अधिनियम के परिभाषा खण्ड 2 (ई0) में शब्दों एवं पद के साधारण रचना से भी, ''शिक्षक'' जो मुख्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित है, का उद्देश्य अधिनियम के तहत उपदान का लाभ प्रदान करने के लिए आच्छादित किया जाना नहीं है। शिक्षक, कर्मचारियों, जो ''कुशल'', ''अर्धकुशल'' अथवा ''अकुशल'' के विवरण का जबाव नहीं है।

एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल किए गए ये तीन शब्द, ये बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो "अकुशल" है, वह "कुशल" नहीं है और एक व्यक्ति जो "अर्धकुशल" है, वह दो श्रेणियों के बीच में हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वह न तो पूरी तरह से कुशल और न ही अकुशल है। ब्लैक का विधि शब्दावली में इन तीन शब्दों को निम्नानुसार

परिभाषित किया गया है: — "अर्धकुशल कार्य— वैसे कार्य जिसमें कुछ सतर्कता और पूरा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अनियमितताओं हेतु वस्तुओं या मशीनरी का निरीक्षण, या संपत्ति या लोगों को नुकसान या चोट से बचाना। कुशल कार्य— वैसे कार्य जिसमें श्रमिक को निर्णय का उपयोग करने, जनता के साथ व्यवहार करने, तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करने, या जटिलता के एक उच्च स्तर पर अमूर्त विचारों के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। अकुशल कार्य— वैसे कार्य जिसमें बहुत कम या काई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं हो, और जिसमें साधारण कार्य करना शामिल हो जो कार्य करने के दौरान तुरन्त सीखा जा सकता है।

22. उपर्युक्त तीनों शब्दों की व्याख्या करने में, जो एक—दूसरे के साथ मिलकर उपयोग किए जाते हैं, अस्पष्ट शब्दों के शब्दार्थ के नियम (फल ऑफ कंस्ट्रक्शन नोसिटुर ए सोसिस) का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक शब्द का अर्थ, जिस शब्द के साथ यह आता है, उसके प्रसंग में समझा जाना है। यह बनावट का एक वैद्य नियम है कि संसद के अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या उनके पास प्रयुक्त किए गए शब्दों के संदर्भ में है। इन तीनों शब्दों के वास्तविक कम में संसर्ग का संकेत यह है कि एक का अर्थ का प्रभाव दूसरे शब्द पर

पड़ता है। नियम को अलग तरीके से समझाया गया है: "संदिग्ध शब्दों का अर्थ इससे जुड़े शब्दों के अर्थ के संदर्भ में पता लगाया जा सकता है। [न्यायमूर्ति जी० पी० सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धान्त देखें, 8 वीं संस्करण, Syn 8 पृष्ठ 379 पर]

23. ''अकुशल'' शब्द ''कुशल'' शब्द का विलोम है और ''अर्धकुशल'' शब्द ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो दो श्रेणियों के बीच आता है अर्थात् वह पूरी तरह से कुशल नहीं है और पूरी तरह से अकुशल भी नहीं है, लेकिन उसके पास, कौशल की कुछ मात्रा है जिस काम के लिए वह नियोजित है। इसलिए "अकुशल" शब्द को "कुशल" और "अर्धकुशल" शब्द से अलग–थलग नहीं समझा जा सकता है और इसे नियोजन की प्रकृति के निरपेक्ष कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए इसे पढ़ना और अर्थ लगाना शामिल है। यदि विधायिका का उद्देश्य, अधिनियम के तहत उपदान का लाभ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को आच्छादित करते हुए, प्रदान करना होता, तो परिभाषा खण्ड 8 में रोजगार की श्रेणियों का विशिष्ट उल्लेख करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। परिभाषा खण्ड के किसी बनावट जो इसे अनावश्यक या प्रभावहीन बनाता है उससे बचना चाहिए।

24. यह तर्क दिया गया कि शिक्षकों को "अकुशल"या "कुशल"पदों

में शामिल माना जाना चाहिए, इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया हो सकता है या ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अप्रशिक्षित हों। एक प्रशिक्षित शिक्षक को औद्योगिक क्षेत्र या सेवा न्यायशास्त्र में "कुशल कर्मचारी" के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इस तरह के विशेषण का उपयोग आमतौर पर मैनुअल या तकनीकी कार्य करने वाले कर्मचारी के लिए किया जाता है। इसी तरह, "अर्धकुशल" और "अकुशल" शब्दों को अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी की प्रकृति का वर्णन करने हेतु शैक्षिक संस्थानों में नहीं समझा जाता है।

इस प्रश्न पर दिये गये तर्कों का हम बहुत महत्व नहीं देते हैं कि क्या "कुशल", "अर्धकुशल" और "अकुशल" शब्द "शारीरिक", "पर्यवेक्षी", "तकनीकी" या "लिपिकीय" या उपरोक्त शब्दों "काम" शब्द को विशेषित करता है। भले ही, सभी शब्दों को पृथक् रूप से या किसी अन्य तरीके से पढ़ा जाता हो, प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक, परिभाषा खण्ड में दिए गए विभिन्न नियोजनों की प्रकृति के किसी भी विवरण का स्पष्ट रूप से जबाव नहीं देते हैं। प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक ("कुशल", "अर्कुशल", "शारीरिक", "पर्यवेक्षी",

''तकनीकी'' या ''लिपिकीय'' कर्मचारी नहीं हैं। वे ''प्रबंधकीय'' अथवा ''प्रशासनिक'' क्षमता में कार्यरत नहीं हैं। कभी—कभी, भले हीं वे शिक्षण के साथ अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में कुछ प्रशासनिक कार्य करते हैं, परन्तु उनका मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना है, उन्हें ''प्रबंधकीय'' या ''प्रशासनिक'' क्षमता में नियोजित नहीं माना जा सकता है। शिक्षकगण को, स्पष्ट रूप से, ''कर्मचारी'' की परिभाषा से आच्छादित होने का अभिप्राय नहीं है।

25. विधायिका "कर्मचारी" शब्द की विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं में, जो पूर्व के विभिन्न श्रम कानूनों में वर्णित थी, जब यह अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, जीवंत थी। यदि इसका उद्देश्य सभी प्रकार के कर्मचारियों को "कर्मचारी" की परिभाषा में आच्छादित करना होता, तो यह ऐसी विस्तृत भाषा का इस्तेमाल किया होता जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एफ) में प्रयुक्त है, जो किसी भी तरह के काम शारीरिक या अन्यथा, में मजदूरी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए "कर्मचारी" को परिभाषित करता है या किसी प्रतिष्ठान में कार्य के सम्बन्ध में" 1972 के अधिनियम की धारा 2 (ई) में "कर्मचारी" की परिभाषा में इस तरह की व्यापक भाषा का उपयोग हमारे निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि शिक्षकगण स्पष्ट रूप से परिभाषा में

शामिल नहीं है।

26. हमारे निष्कर्ष को गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि शिक्षकगण यद्यपि जो हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के बहुत हीं अच्छे पेशे में लगे हुए हैं, उन्हें कोई उपदान लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कई राज्यों में पहले से ही अलग—अलग कानून, नियम और विनियम हैं जो शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों को उपदान लाभ प्रदान करते हैं, जो अधिनियम के तहत प्रदान की गई उपदान लाभ की तुलना में कम या ज्यादा फायदेमंद हैं। विधायिका को विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की स्थित का संज्ञान लेना चाहिए जहाँ उपदान लाभ उपलब्ध नहीं है और इस संबंध में उनके लिए एक अलग कानून के बारे में सोचें। यह पूरी तरह से विधायिका के विचार करने तथा निर्णय लेने का विषय है।"

(जोर दिया गया)

16. इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि के पूर्वेक्ति सिद्धान्त को पढ़ने पर, हमें यह सही ठहराने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी सं0 4, जो एक शिक्षक भी था अपीलकर्ता के साथ काम करता था, इस तरह, अपीलकर्ता (बीo आईo टीo) से उपदान की राशि, इस अधिनियम के तहत, दावा करने के योग्य नहीं था।

- 17. हमारी राय में, हालांकि उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संघ (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले पर ध्यान दिया परन्तु इसे इस आधार पर अंतर करने में भूल कर दिया कि यह प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों पर सिर्फ लागू है और चूँकि सम्प्रति मामला प्राथमिक शिक्षक का नहीं है, इसलिए इस मामले में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है।
- 18. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय, पारा 24 की अंतिम पंक्ति, उपरोक्त उद्धत, को पढ़ने में असफल रहा, जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "शिक्षक" स्पष्ट रूप से "कर्मचारी" की परिभाषा, से आच्छादित नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय "प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों" और "अन्य शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों" के बीच अंतर करने में तर्कसंगत नहीं रहा।
- 19. दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2 (ई0) में परिभाषित पद "शिक्षक" को पद "कर्मचारी" के रूप में जाँच की थी और फिर यह सही ठहराया कि अधिनियम की धारा 2 (ई0) के अर्थ के अधीन "शिक्षक" एक कर्मचारी नहीं है। विधि का निर्धारण करते हुए, इस न्यायालय ने अध्यापकों के बीच परस्पर (इंटर से) अंतर नहीं किया और न ही इसका कोई भेद किया कि अधिनियम के तहत

उपदान का दावा करने के लिए अपने हक का निर्धारण करने हेतु, शिक्षक किस प्रकार के शिक्षण संस्थान में कार्यरत हों।

- 20. इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं, जो हमारे विचार में, अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संध (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। यह इस न्यायालय के निर्णय के गलत पाठ पर आधारित है और इसलिए, यह खारिज करने लायक है।
- 21. हालांकि, हम, यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में सिर्फ इस मामले की जाँच की है, जो अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संघ (उपरोक्त) के मामले के तथ्यों के सदृश्य थे।
- 22. यदि कोई अन्य राज्य अधिनियम या योजना लागू है, जो संस्थान के कर्मचारियों को कोई लाभ देती है, तभी प्रतिवादी सं0 4 ऐसे अधिनियम/योजना का लाभ लेने के लिए, विधि के अनुसार, स्वतंत्र होंगे।
- 23. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और तद्नुसार अनुमित दी जाती है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। फलतः अपीलकर्ता के विरूद्ध अधिनियम के तहत प्रतिवादी सं० 4 द्वारा नियंत्री अधिकारी के समक्ष समर्पित आवेदन अपोषणीय होने की वजह से खारिज किया जाता है।

सप्रे]

नि—स्वीकरण— "यह कि हिन्दी भाषा में अनुदित निर्णय वादियों के सीमित उपयोग के लिए एवं अपनी भाषा में समझने के लिए हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए सही माना जाएगा।"